अनुसूची 14– फारम सं. 562

(137)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी.....संख्या–..... 33.....सन् 2014–15

केश का प्रकारः– बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भमि अर्जन 1961 की धारा–16 (3) के तहत अपील वाद

अर्जीकार–रामजीवन साहु प्रतिपक्षीः– बिन्देश्वर यादव वगैरह

आदेष का कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
	अपीलकर्ता– रामजीवन साहु पिता स्व0 नेबी साहु, ग्राम–कारमेघ जैल मालिन बेलहा, डाकघर–मालिन बेलहा, थाना–लौकहा प्रतिपक्षीः– 1–बिन्देश्वर यादव पिता जागेश्वर यादव ग्राम–कारमेघ जैल, मालिन बेलहा, थाना–लौकहा.....प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष। 2– श्री चतुर्भुज सिंह 3– अशोक कुमार सिंह, 4–देवेन्द्र कुमार सिंह पेसरान–स्व0लगनदेव सिंह, ग्राम–कारमेघ जैल, मालिन बेलहा, थाना–लौकहा, जिला–मधुबनी.....प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष। प्रश्नगत भूमिः–मौजा–कारमेघ जैल मालिन बेलहा, थाना–लौकहा, पुराना खाता–1894 पुराना खेसरा नं. 9772 नया खेसरा नं. 23799, 23802, 23803 रकवा 08 कट्ठा 05 धूर एवं पुराना खाता नं. 1905, पूराना खेसरा संख्या–9768 नया खेसरा संख्या–23799, 23790, 23800, 23788, 23789 एवं 23801 रकवा 7 कट्ठा 4½ धूर।	
2.11.18	प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय भू0हद0अधिनियम की धारा–16(3) वाद अभिलेख संख्या–08/14–15 में पारित आदेश दिनांक–03.03.2015 के विरूद्ध अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत अपील आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर अंगीकृत करते हुये वाद की कार्रवाई की गई एवं निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख मांगा तथा पक्षकारों को अपना–अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया। **अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– प्रश्नगत भूमि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष की थी। पैसे की आवश्यकता होने पर प्रश्नगत भूमि बिक्री करने की इच्छा जाहिर की गई। परन्तु प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि कय करने की इच्छूक नहीं हुये। अपीलकर्ता ने प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष द्वारा तयसूदा जरसेमन अदा कर भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से कय किया। 2– अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के अरिया के पूरब चौहद्दी में रहने के कारण अरिया रैयत है जो केवाला से स्पष्ट है। 3– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय में लैण्ड सिलिंग वाद दायर किया जो निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलकर्ता ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया जिसे स्वीकार कर लिया गया जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण वाद संख्या–44/05 राजस्व पर्षद, में दायर हुआ जो रद्द हो गया। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष ने सी0डब्लू0जे0सी0नं0 3273/06 माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्व पर्षद, अपर समाहर्ता एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता के आदेश को निरस्त करते हुये भूमि सुधार उप समाहर्ता को सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर दिया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास ने अपने आदेश दिनांक– 03.03.15 में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को अग्रक्रयाधिकारी माना जबकि न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं और न ही भूमिहीन श्रेणी में आते हैं। निम्न न्यायालय का आदेश गलत एवं क्षेत्राधिकार का नहीं है। 4– अपीलकर्ता भूमिहीन की श्रेणी में आते हैं। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष कभी भी यह प्रमाणित नहीं कर पाये कि अपीलकर्ता भूमिहीन श्रेणी में नहीं आते हैं। 5– भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास ने पारित आदेश 20.02.2004 में बिना पक्षकारों को सूचना दिये नकल निर्गत होने के बावजूद अपने आदेश को संशोधित कर दिया एवं दिनांक–10.03.04 को संशोधित आदेश पारित कर दिया जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर	

था। जब अंतिम आदेश पारित किया जा चुका था तब उसी कोर्ट को पुनः पारित आदेश को बदलने का अधिकार नहीं होता है किन्तु निम्न न्यायालय ने ऐसा किया।

6– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष कभी भी प्रश्नगत भूमि क्रय करने के इच्छूक नहीं थे। क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि क्रय करने के इच्छूक थे।

7–दिनांक–09.04.2003 का निबंधित दस्तावेज ही स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता राम जीवन साहु की जमीन प्रश्नगत भूमि के सटे पूरब चौहद्दी में है। उक्त दस्तावेज अपीलकर्ता के अरिया रैयत होने का पूर्ण प्रमाण है जिसे प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष भी नकार नहीं सकते।

8– यह भी स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के सहभागी भी नहीं हैं।

9– अपीलकर्ता भूमिहीन व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह भूमि क्रय किया है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष यह साबित नहीं कर पाये कि अपीलकर्ता भूमिहीन श्रेणी के नहीं हैं।

10– निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुये अपील आवेदन को स्वीकार किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1–निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक– 20.04.2004 में खाता संख्या–1905 का विवरण दर्ज नहीं होने के कारण दिनांक– 10.0304 को संशोधित आदेश पारित किया गया।

2– पक्षकारों की ओर से अपर समाहर्ता न्यायालय/सदस्य राजस्व पर्षद एवं माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–3273/2006 दायर हुआ। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने सभी निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये पुनः सुनवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास को वाद में सुनवाई कर फ्रेश आदेश पारित करने का आदेश दिया।

3– भूमि सुधार उप समाहर्ता फुलपरास ने भू–हदबंदी वाद संख्या–08/2014–15 में दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक– 03.03.2015 को विधिवत् आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध अपील दायर हुआ है।

4– प्रश्नगत भूमि चतुर्भज सिंह एवं अन्य उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की थी प्रश्नगत भूमि खेसरा नं. 9772 के पुरब एवं पश्चिम चौहद्दी में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की भूमि है।खेसरा नं. 9768 दक्षिण चौहद्दी में खेसरा नं. 9768 की भूमि निबंधित केवाला से खरीदगी है। अपीलकर्ता न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं वो न ही प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के सहभागीदार हैं।

5– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि क्रय करने हेतु इच्छूक थे किन्तु प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष ने अपीलकर्ता को केवाला के द्वारा हस्तान्तरित कर दिया।

6– निम्न न्यायालय ने अंचल अधिकारी, खुटौना से प्रतिवेदन मांगा जिससे स्पष्ट है कि अपीलकर्ता एवं प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष भूमिहीन की श्रेणी के रैयत नहीं हैं।

7– निम्न न्यायालय ने सभी तथ्यों को गौरकर विधिवत् आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं वो प्रश्नगत भूमि के इन्टेन्डेन्ट परचेजर हैं जबकि अपीलकर्ता न तो प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के सहभागीदार हैं वो न ही प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत है। वो न ही प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष एवं अपीलकर्ता भूमिहीन श्रेणी के रैयत है। अस्तु निम्न न्यायालय के आदेश को बहाल रखा जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख संख्या–8/2014–15 बिन्देश्वर यादव–बनाम– रामजीवन साहु में दिनांक– 03.03.2015 को पारित आदेश का मुख्य अंशः–

निबंधित केवाला की जमीन खेसरा संख्या–9772 रकवा 08 कट्ठा 05 धूर के पूरब भाग के चौहद्दी में बिन्देश्वर यादव का नाम अंकित है तथा खेसरा–9768 के प0 भाग के चौहदी दार के रूप में बिन्देश्वर यादव का नाम अंकित है। इस तरह बिन्देश्वर यादव को अरिया रैयत पाते हुये इनके अग्रक्रय दावा को सही पाते हुये रामजीवन साहु को आदेश दिया कि एक माह के अंदर बिन्देश्वर यादव को प्रश्नगत भूमि का निबंधित केवाला तहरीर कर दें

एवं जमा राशि का भुगतान ले लें अन्यथा न्यायालय नियमानुसार बिन्देश्वर यादव के नाम निबंधित केवाला तहरीर वो तामिल करा देगा।

निष्कर्षः–

अपील आवेदन, विपक्षी का प्रत्युत्तर, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं उपलब्ध कागजातों का परिसिलन किया। निम्न न्यायालय ने अपने आदेशफलक में लिखा है कि निबंधित केवाला के चौहद्दी में बिन्देश्वर यादव का नाम अंकित है तथा खेसरा–9768 के प0 भाग के चौहदी दार के रूप में बिन्देश्वर यादव का नाम अंकित है इसलिए प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष प्रश्नगत भूमि के वास्तविक अरिया रैयत होने के नाते अग्रक्रयाधिकारी हैं। अपीलकर्ता ने भूमिहीन की श्रेणी में रहने का कोई साक्ष्य प्रमाण इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जिससे कि यह प्रमाणित हो सके कि अपीलकर्ता वास्तव में भूमिहीन श्रेणी में आते हैं। जब प्रश्नगत भूमि के वास्तविक अरिया रैयत प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष हैं वैसी स्थिति में प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष अग्रक्रयाधिकारी हैं। अतएव निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा भू–हदबंदी वाद संख्या–08/2014–15 बिन्देश्वर यादव–बनाम–रामजीवन साहु में दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत दिनांक– 03.03.2015 को पारित आदेश बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश कियान्वयन हेतु भेजें। आदेश से विक्षुब्ध सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

9.11.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

9.11.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।